

Rajasthali Law Institute

Prelims test series

Transfer of Property Act-2 (Section 26 to 52)

1) Law Commission for the Transfer of Property matters was appointed in England and the Draft Bill prepared by the Commission was introduced in the Legislative Council in?/संपत्ति मामलों के अंतरण के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग नियुक्त किया गया था और आयोग द्वारा तैयार मसौदा विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया था ?

- (a) 1870
- (b) 1875
- (c) 1877
- (d) 1882

2) The Bill on Transfer of Property was referred to?/संपत्ति के अंतरण पर विधेयक का उल्लेख किया गया था?

- (a) First Law Commission/प्रथम विधि आयोग
- (b) Second Law Commission/दूसरा विधि आयोग
- (c) Third Law Commission/तीसरा विधि आयोग
- (d) Fourth Law Commission./चौथा विधि आयोग।

3) The Transfer of Property Act received its assent on?/संपत्ति अंतरण अधिनियम को सहमति प्राप्त हुई?

- (a) 17th February, 1882/17 फरवरी, 1882
- (b) 22nd February, 1882/ 22 फरवरी, 1882
- (c) 23rd February, 1882 23 फरवरी, 1882
- (d) 27th February, 1882./27 फरवरी, 1882।

4). सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन-सी धाराओं से स्पष्ट है कि 'विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित में निर्निहित होने के विरोध में'? / **From which of the following Sections of the Transfer of Property Act 1882 it is clear that 'law is in favour of vesting of interest and against seizing of interest'?**

- a) धारा 27 एवं 28/ Section 27 and 28
- b) धारा 30 एवं 31/ Section 30 and 31
- c) धारा 32 एवं 33/ Section 32 and 33
- d) धारा 26 एवं 29/ Section 26 and 29

5)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्ययन विधिमान्य न हो, तो पूर्विक व्ययन पर उसका-/ **Under Section 30 of the Transfer of Property Act, if the ulterior disposition is not valid, then on the prior disposition,**

- (a) प्रभाव पड़ेगा / Will have an effect
- (b) प्रभाव नहीं पड़ेगा / Will not affect
- (c) अंशतः प्रभाव पड़ेगा / Will be partially affected
- (d) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा / Will depend on the discretion of the court

6). क कोई फार्म ख को उसके जीवनपर्यन्त के लिए इस उपबन्ध के साथ अन्तरित करता है कि यदि ख ने अमुक जंगल को काटा तो अन्तरण के प्रभाव का अन्त हो जाएगा। ख जंगल काट डालता है। / **A transfers a farm to B for his life, with a proviso that, in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. B cuts down the wood.**

- (a) ख फार्म में अपना आजीवन हित अर्जित कर लेता है। / B acquires his life interest in the farm.
- (b) ख फार्म में अपना आजीवन हित खो देता है। / B loses his life interest in the farm.
- (c) ख का फार्म में आजीवन हित स्वतः निहित है। / B has a life interest in the farm automatically.

(d) ख का फार्म में आजीवन हित क की अनुमति पर निर्भर है। / B's life interest in the farm is dependent on A's permission.

7)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 35 निम्न किस पर लागू होती है? / To whom does Section 35 of the Transfer of Property Act, 1882 apply?

- (a) चल सम्पत्ति पर / On movable property
- (b) अचल सम्पत्ति पर / On immovable property
- (c) (a) व (b) दोनों / (a) and (b) both
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above

8)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 36 निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है?/ Section 36 of the Transfer of Property Act, 1882 deals with which of the following principles?

- (a) निर्वाचन के सिद्धांत से / Principle of election
- (b) साइप्रेस (यथासामीप्य) के सिद्धांत से / Cypress (Identical) principle
- (c) गतिवृद्धि के सिद्धांत से / From the principle of acceleration
- (d) प्रभाजन के सिद्धांत से / By the principle of apportionment

9)निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? / Which one of the following is not correctly matched?

- (a) मौखिक अन्तरण : सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 9/ Oral Transfer : Section 9 of the Transfer of Property Act
- (b) शाश्वतता के विरुद्ध नियम : सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 14 / Rule against perpetuity: Section 14 of the Transfer of Property Act
- (c) निर्वाचन का सिद्धांत : सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 35 / Principle of Election: Section 35 of the Transfer of Property Act
- (d) दृश्यमान स्वामी के द्वारा अन्तरण : सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 40 / Transfer by ostensible owner: Section 40 of the Transfer of Property Act

10) एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अन्तरित नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत के सूत्र को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की निम्नांकित में से किन धाराओं में समाहित किया गया है? / One person cannot transfer a good self to another. The formula of this principle has been incorporated in which of the following sections of the Transfer of Property Act?

- a) धारा 41, 42, 43 और 44/ Sections 41, 42, 43 and 44
- b) धारा 41 और 42/ Sections 41 and 42
- c) धारा 41 और 44/ Sections 41 and 44
- d) धारा 41 और 43/ Sections 41 and 43

11) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 43 संबंधित है- / Section 43 of the Transfer of Property Act, 1882 is related to-

- (a) अनुयोज्य दावे / Actionable claim
- (b) बन्धक मोचन / redemption of the mortgage
- (c) अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, जो अंतरित सम्पत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है / Transfer by unauthorised person who subsequently acquires interest in property transferred
- (d) प्रत्यासन / Subrogation

12). त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावपूर्वक दिया गया भाटक / Rent bona fide paid to holder under defective title.

- (a) धारा 44/Section 44
- (b) धारा 59/Section 59
- (c) धारा 50/Section 50
- (d) धारा 65/Section 65

13) विचाराधीन वाद का सिद्धांत कौन-से संव्यवहार को लागू नहीं होता है? / To which transaction the doctrine of pending suit does not apply?

- (a) वाद में समन के निर्वाह के पूर्व / before the discharge of the summons in the suit

- (b) वादपत्र के पश्चात् किन्तु अपील के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व / After plaint but before the expiry of the period allowed for appeal
(c) वेष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान / During the pendency of the execution proceedings
(d) उस न्यायालय, जिसमें वाद लंबित है, के प्राधिकार के अधीन / Under the authority of the court in which the suit is pending

14) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण उपबन्धित है? / In which section of the transfer of property act provided Fraudulent transfer?

- (a) धारा 47/Section 47
(b) धारा 53/Section 53
(c) धारा 60/Section 60
(d) धारा 55/Section 55

15). स्थावर सम्पत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो पाश्चिक अन्तरिती को कपटवंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, / Every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee

- (a) अन्तरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। / shall be voidable at the option of such transferee.
(b) अन्तरिती के विकल्प पर वैध होगा। / shall be legal at the option of such transferee.
(c) अन्तरक के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। / shall be voidable at the option of such transferor.
(d) अन्तरक के विकल्प पर वैध होगा। / shall be legal at the option of such transferor.

Estd. 2008

16) संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्न में से कौन-सा घटक अनिवार्य नहीं है? / Which one of the following components is not essential in the case of part performance of a ?

- (a) अचल सम्पत्ति के अन्तरण का करार । / Agreement for transfer of immovable property.
- (b) करार लिखित में हो जिस पर अन्तरक या उसकी ओर से किसी के हस्ताक्षर हो। / The agreement is in writing signed by the transferor or on his behalf.
- (c) अन्तरिती का सम्पत्ति पर कब्जा हो। / The transferee has possession of the property.
- (d) अन्तरिती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। / The transferee has paid the consideration in full.

17). सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्ययन विधिमान्य न हो, तो पूर्विक व्ययन पर उसका- / Under Section 30 of the Transfer of Property Act, if the ulterior disposition is not valid, then on the prior disposition is,

- (a) प्रभाव पड़ेगा / affected
- (b) प्रभाव नहीं पड़ेगा / not affected
- (c) अंशतः प्रभाव पड़ेगा / will be partially affected
- (d) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा / will depend on the discretion of the

18) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा आवश्यक तत्व है- / Which one of the following is an essential element under section 43 of the Transfer of Property Act, 1882?

- (a) व्यपदेशन अवश्य ही कपटपूर्ण होना चाहिए / representation must be fraudulent
- (b) अन्तरण अचल सम्पत्ति का होना चाहिए / The transfer should be of immovable property
- (c) अन्तरण प्रतिफल के लिए होना चाहिए / transfer must be for consideration
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

19)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत अन्तरीति वाद के परिणाम से बाध्य होगा / Under section 52 of the Transfer of Property Act, 1882 the transferee will be bound by the result of the suit

(a) अगर उसे मुकदमेबाजी का ज्ञान है/If he has knowledge of the litigation

(b) अगर उन्हें मुकदमेबाजी का सद्भावनापूर्ण कोई ज्ञान नहीं/ If he had no knowledge of the litigation even made bona fide enquiry

(c) अगर उसने सद्भावी क्रेता को प्रतिफल दिया / If he has paid adequate consideration for the purchase

aty

(d) क्या मुकदमेबाजी के रूप में अन्तरीति के पास ज्ञान है या नहीं/Whether the transferee has knowledge or no to the litigation

20)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में अन्तरण पर रोक लगाई जाती है या अन्यथा किसी भी सम्पत्ति का निपटारा एक लम्बित वाद के दौरान किया जाता है बशर्ते की अनुभाग में निर्धारित शर्तें यह कथन:- / Section 52 of Transfer of Property Act, 1882 imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of a suit, provided the conditions laid down in Section are satisfied.

The statement is:-

(a) गलत/False

(b) सही/True

(c) भागतः सही/Partly true

(d) इनमें से कोई नहीं/None of the above

21). सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में लम्बित वाद का सिद्धान्त संबंधित है:-/ The principle of lis pendens embodied in section 52 of the Transfer of Property Act pertains to:-

(a) सद्भावी क्रेता/bona fide purchase

(b) लोक-नीति/public policy

(c) नीलामी/auction sale

(d) इनमें से कोई नहीं/ None of the above

22) The chapters and sections of the Transfer of Property Act, 1882, which relate to contracts shall be part of: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय और अनुभाग, जो संविदाओं से संबंधित हैं, का हिस्सा होंगे:

- (a) Indian Registration Act, 1908/भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
- (b) Sale of Goods Act, 1930/माल की बिक्री अधिनियम, 1930
- (c) General Clauses Act, 1897/सामान्य खंड अधिनियम, 1897
- (d) Indian Contract Act, 1872./भारतीय संविदा अधिनियम 1872

23) A transfers property to B for life and after his death to C and D, equally to be divided between them or to the survivors of them. C dies during life of B. D survives B. At B's death the property: ए जीवन भर के लिए संपत्ति बी को अन्तरण करता है और उसकी मृत्यु के बाद सी और डी को, उनके बीच या उनके बचे लोगों के बीच समान रूप से विभाजित करने के लिए हस्तांतरित करता है। C की मृत्यु B के जीवनकाल में हो जाती है। D, B से बच जाता है। B की मृत्यु पर संपत्ति:

- (a) shall pass to D/डी के पास जाएगा
- (b) shall pass to any person/किसी भी व्यक्ति को पारित हो जाएगा
- (c) shall pass to person who is specifically named in transfer/उस व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा जिसका स्थानांतरण में विशेष रूप से नाम दिया गया है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

24) In case of transfer of property under the Transfer of Property Act, 1882, if the ulterior disposition is not valid then: संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के तहत संपत्ति के अन्तरण के मामले में, यदि पूर्ववर्ती स्वभाव वैध नहीं है तो ?

- (a) The prior disposition is affected by it/पूर्व स्वभाव इससे प्रभावित होता है
- (b) The prior disposition is not affected by it/पूर्व स्वभाव इससे प्रभावित नहीं होता है

- (c) No such condition is prevailed under the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत ऐसी कोई शर्त प्रचलित नहीं है
- (d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

25)A transfers a garden to B for her life with a proviso that, in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. B cuts down the wood. Decide the case in the light of Transfer of Property Act, 1882/

ए, बी को उसके जीवन भर के लिए एक बगीचा इस शर्त के साथ अन्तरण करती है कि, यदि बी एक निश्चित लकड़ी काट देता है, तो अन्तरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी लकड़ी काटता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 में मामले का निर्णय करें

- (a) B loses his life interest in the firm/बी फर्म में अपना जीवन हित खो देता है
- (b) B does not lose his life interest in the firm/बी ने फर्म में अपना जीवन भर का हित नहीं खोया है
- (c) No such provision is made under the Transfer of Property Act, 1882/ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है
- (d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

26)Under the provisions of section 35 of the Transfer of Property Act, 1882, where a person professes to transfer property which he has no right to transfer, and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property then/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 35 के प्रावधानों के तहत, जहां कोई व्यक्ति उस संपत्ति को अन्तरण करने का दावा करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, और उसी लेनदेन के हिस्से के रूप में संपत्ति के मालिक को कोई लाभ प्रदान करता है।

- (a) Such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it/ऐसे मालिक को या तो ऐसे अन्तरण की पुष्टि करनी होगी या उससे असहमति जतानी होगी

- (b) Such owner can elect to confirm such transfer only/ऐसा मालिक केवल ऐसे अन्तरण की पुष्टि करने का चुनाव कर सकता है
- (c) Such owner can dissent from transfer only/ ऐसा मालिक केवल अन्तरण से असहमत हो सकता है
- (d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

27)The foundation of doctrine of election under the Transfer of Property Act, 1882 is that a person taking the benefit of an instrument:/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के तहत चुनाव के सिद्धांत की नींव यह है कि एक व्यक्ति एक साधन का लाभ ले रहा है:

- (a) Must bear the burden/भार उठाना होगा
- (b) Must not bear the burden/भार नहीं उठाना होगा
- (c) Burden is not the subject of election/भार चुनाव का विषय नहीं है
- (d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

28)A person is not put to his election, unless he has a proprietary interest in the property disposed off in derogation of his rights.

This is the subject matter under provisions of:/किसी व्यक्ति को तब तक चुनाव में नहीं खड़ा किया जाता, जब तक कि उसके अधिकारों के हनन में निपटाई गई संपत्ति में उसका मालिकाना हित न हो। यह निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत विषय वस्तु है:

- (a) section 35 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 35
- (b) section 35 of the Indian Registration Act, 1908/भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 35
- (c) section 35 of the Indian Succession Act, 1925/भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 35
- (d) General Clauses Act, 1897./सामान्य खंड अधिनियम, 1897।

29)Section 37 of the Transfer of Property Act, 1882 refers to apportionment by estate. In this light before the Transfer of Property Act, 1882, when a transfer was severed by the sale of

shares in the version the tenant was still obliged to pay the rent to all shares jointly:/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 37 संपत्ति द्वारा बंटवारे को संदर्भित करती है। संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 से पहले इस प्रकाश में, जब संस्करण में शेयरों की बिक्री से अन्तरण को अलग कर दिया गया था, तब भी किरायेदार सभी शेयरों को संयुक्त रूप से किराया देने के लिए बाध्य था:

- (a) Unless an apportionment had been agreed to by all the parties/ जब तक कि सभी पक्षों द्वारा बंटवारे पर सहमति न हो
- (b) Any party is agreed by all the parties/किसी भी पक्ष पर सभी पक्ष सहमत होते हैं
- (c) Any two parties are agreed /कोई भी दो पक्ष सहमत हैं
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

30). In the Transfer of Property Act, 1882, sections 33 to 37 apply to both immovable and movable property whereas sections 38 to 53 apply to:/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में, धारा 33 से 37 स्थावर और जंगम संपत्ति दोनों पर लागू होती हैं जबकि धारा 38 से 53 इन पर लागू होती हैं:

- (a) movable property only/केवल जंगम संपत्ति
- (b) immovable property/स्थायर संपत्ति
- (c) both immovable and movable property/स्थायर और जंगम दोनों संपत्ति
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

31)Provisions of section 38 of the Transfer of Property Act, 1882 does not apply to cases falling under: /

संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 38 के प्रावधान इसके अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होते हैं:

- (a) benamidars or ostensible owners who can give no title except by estoppel/ बेनामीदार या दृश्यमान मालिक जो विबंध के अलावा कोई स्वामित्व नहीं दे सकते
- (b) contingent transfer which is based on happening and not happening of certain events/आकस्मिक अन्तरण जो कुछ घटनाओं के घटित होने और न होने पर आधारित होता है

- (c) perpetual transfer/सतत अन्तरण
(d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं

32)Section 38 of the Transfer of Property Act, 1882, has no application/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 38 का कोई अनुप्रयोग नहीं है

- (a) to previous transfer where the transaction is still incomplete/पिछले अन्तरण के लिए जहां लेनदेन अभी भी अधूरा है
(b) to succeeding transfer where the transaction is to be completed in future/ सफल अन्तरण के लिए जहां लेनदेन भविष्य में पूरा किया जाना है
(c) to perpetuity transfer/शाश्वत स्थानांतरण के लिए
(d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

33)Right to maintenance under the provisions of section 39 of the Transfer of Property Act, 1882 includes the enhanced maintenance in future has been to these if there material change in the circumstances. This was decided in case of:/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण के अधिकार में भविष्य में परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर बढ़ा हुआ भरण-पोषण शामिल है। इस मामले में यह निर्णय लिया गया:

- (a) Adiveppa v. Tengawwa, (1974) 2 Karn LJ 45/आदिवेप्पा बनाम तेंगवा, (1974) 2 कर्ण एलजे 45
(b) Kaveri v. Parameswari, AIR 1971 Ker 216/कावेरी बनाम परमेश्वरी, एआईआर 1971 केर 216
(c) Dattatreya v. Julsabai, (1943) Bom 646/दत्तात्रेय बनाम जुलसाबाई, (1943) बोम 646
(d) Pranal v. Chapsey, AIR 1945 Bom 34./प्राणलाल बनाम चैप्सी, एआईआर 1945 बीओएम 34।

34)Within the meaning of provision under section 39 of the Transfer of Property Act, 1882 a woman is entitled to maintenance not only from the husband, but also from sons who

are members of the joint family. This was decided in case of: संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 39 के तहत प्रावधान के अर्थ में एक महिला न केवल पति से, बल्कि उन बेटों से भी भरण-पोषण की हकदार है जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। इस मामले में यह निर्णय लिया गया:।

- (a) S. Periasteami v. Chellareal, (1980) 1 Mad LJ 46/एस. पेरियास्टेमी बनाम चेलारियल, (1980) 1 मैड एलजे 46
- (b) Raghuan v. Nagitmal, (1979) 1 Mad LJ 172/रघुअन बनाम नागित्मल, (1979) 1 मैड एलजे 172
- (c) Chandramna v. Maniom Vankettareddy, AIR 1958 AP 396/चंद्रमना बनाम मनिओम वेंकेटरेड्डी, एआईआर 1958 एपी 396
- (d) Basudev Dey Sarkar v. Chhaya Dey Sarkar, AIR 1991 Cai 399./बासुदेव डे सरकार बनाम छाया डे सरकार, एआईआर 1991 कै 399।

35) Within the meaning of section 40 of the Transfer of Property Act, 1882, the purchaser at a court sale:?!/

संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 40 के अर्थ के अंतर्गत, अदालती बिक्री पर क्रेता:?

- (a) is not a transferee by operation of law/कानून के तहत अंतरिती नहीं है
- (b) is a transferee by operation of law/कानून के तहत अंतरिती है
- (c) is a transferee by operation of law and is not a transferee within the meaning of section 40/कानून के तहत अंतरिती है और धारा 40 के अर्थ के अंतर्गत अंतरिती नहीं है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

36) The transfer by the ostensible owner is provided in ... Act, 1882 section of the Transfer of Property/प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा स्थानांतरण संपत्ति अन्तरण के अधिनियम, 1882 की धारा में प्रदान किया गया है

- (a) section 38/धारा 38
- (b) section 39/धारा 39
- (c) section 40/धारा 40
- (d) section 41/धारा 41

37)With the express or implied consent of interested person in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration, then the transfer shall not be:/स्थावर संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति की व्यक्त या निहित सहमति से, कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और उसे विचारार्थ अंतरित करता है, तो अंतरण नहीं होगा:?

- (a) voidable/शून्यकरणीय
- (b) void/शून्य
- (c) valid/वैध
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

38)The section 41 of the Transfer of Property Act, 1882 is the statutory application of the law of estoppel. The statement is/संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 विबंधन के कानून का वैधानिक अनुप्रयोग है। कथन है

- (a) true/सच
- (b) false/झूठ
- (c) partly true/आंशिक रूप से सच है
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

39) Section 41 of the Transfer of the Property Act, 1882 applies to voluntary transfers and has no application to: /

संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 स्वैच्छिक अंतरण पर लागू होती है और इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है:

- (a) court sale/कोर्ट बिक्री
- (b) contingent sale/आकस्मिक बिक्री
- (c) perpetuity sale/ शाश्वत बिक्री
- (d) price less sale/कम कीमत बिक्री।

40)Under the provisions of section 41 of the Transfer of Property Act, 1882, these are some conditions: /

संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत, ये कुछ शर्तें हैं:

- (a) Transferer is the ostensible owner/अंतरणकर्ता दृश्यमान स्वामी है।
- (b) He is so by the consent, expressed or implied, of the real owner/ वह वास्तविक मालिक की व्यक्त या निहित सहमति से ऐसा है।
- (c) Transfer is for consideration/अंतरण प्रतिफल के लिए है
- (d) Transferee has acted in good faith, taking reasonable care to ascertain that the transferer had power to transfer/अंतरिती ने अच्छे विश्वास में काम किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती है कि अंतरणकर्ता के पास अंतरण करने की शक्ति है।

41) किसी प्रबंधक के कब्जे को वास्तविक मालिक की सहमति से प्रत्यक्ष स्वामित्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह किस मामले में आयोजित किया गया था?/Possession of a manager cannot be treated as ostensible ownership with the consent of the real owner. This was held in case of ?

- (a) सेशुमुल्ला एम. शाह बनाम सैयद अब्दुल रशीद, एआईआर 1991 कांत 273 /Seshumulla M. Shah v. Sayed Abdul Rashid, AIR 1991 Kant 273
- (b) वेद कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1989 एनओसी 136 /Ved Kumar v. Union of India, AIR 1989 NOC 136
- (c) मोतिमेल सॉटर बनाम विजलाक्षी अम्मल, एआईआर 1965 मैड 432/Motimel Sowter v. Vijalakshi Ammal, AIR 1965 Mad 432
- (d) बी. सीताराम राव बनाम विभूषण, एआईआर 1978 ओरी 222 /B. Sitaram Rao v. Bibhushana, AIR 1978 Ori 222

42)Inaccuracy in the recitals describing the property:/संपत्ति का वर्णन करने वाले अभिलेखों में अशुद्धि:

- (a) cannot whittle down the effect of clear recitals in the documents about the property to be sold thereby/इसके द्वारा बेची जाने वाली संपत्ति के बारे में दस्तावेजों में स्पष्ट विवरण के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है
- (b) can whittle down the effect of clear recitals

in the document about the property to be sold thereby/बेची जाने वाली संपत्ति के बारे में दस्तावेज़ में स्पष्ट विवरण के प्रभाव को कम कर सकता है

(c) cannot depend upon the inaccuracy or accuracy of recital describing property/संपत्ति का वर्णन करने वाले पाठ की अशुद्धि या सटीकता पर निर्भर नहीं रह सकता

(d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

43) Under section 42 of the Transfer of Property Act, 1882 if a person has a right to transfer property, after exercising a right to revoke a previous transfer, a transfer of such property by him will imply an exercise of: /संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 42 के तहत यदि किसी व्यक्ति को पिछले अन्तरण को रद्द करने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद संपत्ति अंतरित करने का अधिकार है, तो उसके द्वारा ऐसी संपत्ति के अन्तरण का अर्थ यह होगा:

(a) right of revocation/निरसन का अधिकार

(b) right of transfer/अन्तरण का अधिकार

(c) right of surrender/अभ्यर्पण का अधिकार

(d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

44) Section 43 of the Transfer of Property Act, 1882 enables a transferee to whom a transferer has made a fraudulent or erroneous representation to lay hold, at his option, of any interest: /संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 43 उस अंतरिती को सक्षम बनाती है, जिसे अंतरणकर्ता ने कपटपूर्ण या गलत अभ्यावेदन दिया है, अपनी इच्छानुसार किसी भी हित पर कब्जा करने के लिए:

(a) which the transferor may subsequently acquire with property, provided he does not adversely affect the right of any subsequent purchaser for value without notice/जिसे अंतरणकर्ता बाद में संपत्ति के साथ अर्जित कर सकता है, बशर्ते वह बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए किसी भी बाद के खरीदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले

- (b) which the transferee may rescind the proceeding/जिससे अंतरिती कार्यवाही रद्द कर सकता है
- (c) which both transferor and transferee rescind/जिसे अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों रद्द कर देते हैं
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

45) Point 1-Contract of transfer was made by a person who was competent to contract

Point 2- Contract would be subsisting at the time when a claim for recovery of the property is made./बिंदु 1-संविदा का अंतरण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो संविदा करने में सक्षम था
बिंदु 2- संविदा उस समय अस्तित्व में रहेगा जब संपत्ति की वसूली का दावा किया जाएगा।

- (a) both (1) and (2) necessary/दोनों (1) और (2) आवश्यक हैं
- (b) only (1) is necessary/केवल (1) आवश्यक है
- (c) only (2) is necessary/केवल (2) आवश्यक है
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

46) Section 44 of the Transfer of Property Act, 1882, deals with:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44, से संबंधित है:

- (a) transfer by two co-owner/दो सह-मालिकों द्वारा अंतरण
- (b) transfer by one co-owner/एक सह-मालिक द्वारा अंतरण
- (c) transfer by 3 co-owners/3 सह-मालिकों द्वारा अंतरण
- (d) transfers by all co-owners./सभी सह-मालिकों द्वारा अंतरण

47) When one of several co-owners transfers his share, the transferee acquires as against the other co-owners the same rights that of transferor had but is subject to any condition and liabilities affecting the share at the date of transfer. This is the provision under:/जब कई सह-मालिकों में से कोई एक अपना हिस्सा अंतरित करता है, तो अंतरिती अन्य सह-मालिकों के मुकाबले वही अधिकार प्राप्त कर लेता है जो अंतरणकर्ता के पास था, लेकिन अंतरण की तिथि पर शेयर को प्रभावित करने

वाली किसी भी शर्त और देनदारियों के अधीन होता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है:

(a) section 40 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 40

(b) section 41 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41

(c) section 42 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 42

(d) section 44 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44

48) The provision for the joint transfer for consideration is dealt in:/प्रतिफल संयुक्त अंतरण का प्रावधान इस प्रकार है:

(a) section 45 of the Transfer of Property Act, 1882/ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 45

(b) section 46 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 46

(c) section 47 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 47

(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

49)Presumption of equity pertains to:/न्यायपरस्ता का अनुमान संबंधित है:

(a) section 45 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 45

(b) section 46 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 46

(c) section 47 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 47

(d) section 48 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 48

50)Where several co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transfers, the transfer, as among such transferors, takes effect on such share:/जहां स्थावर संपत्ति के कई सह-मालिक उसमें यह निर्दिष्ट किए बिना एक हिस्सा अंतरित करते हैं कि अंतरण किसी विशेष भाग या अंतरण के भागों पर प्रभावी होना है, ऐसे अंतरणकर्ताओं के बीच अंतरण , ऐसे भाग पर प्रभावी होता है:

- (a) inequally where the shares were equal and where they are unequal proportionally to the extent of such shares/असमान रूप से जहां भाग बराबर थे और जहां वे ऐसे भागों की सीमा के अनुपात में असमान हैं
- (b) equally where the share were equal and where they are unequal proportionately to the extent of such shares/ समान रूप से जहां भाग बराबर थे और जहां वे ऐसे भागों की सीमा के अनुपात में असमान हैं
- (c) only (a) is correct/केवल (ए) सही है
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

51)Within the meaning of section 48 of the Transfer of Property Act, 1882, the transfer cannot prejudice the rights of the transferee by any subsequent dealing with the property. This self-evident proposition is expressed in/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 48 के अर्थ के अंतर्गत, अंतरण संपत्ति के साथ किसी भी बाद के लेनदेन द्वारा अंतरिती के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। यह स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव व्यक्त किया गया है

- (a) equitable maxim qui prior est tempore potior est jure/न्यायसंगत कहावत क्वि प्रायर इस्ट टेम्पोरोर पोटियोर इस्ट ज्यूर
- (b) quid pro co/क्विड प्रो को
- (c) bona fide transfer/प्रामाणिक स्थानांतरण
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

52)The provision of improvements made by bona fide holders under defective titles is dealt in:/दोषपूर्ण शीर्षकों के तहत वास्तविक धारकों द्वारा किए गए सुधारों का प्रावधान इस प्रकार है:

- (a) section 50 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 50
- (b) section 51 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 51
- (c) section 53 of the Transfer of Property Act, 1882/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

53)A lessee cannot appeal to this section 51 of the Transfer of Property Act, 1882. The statement is/एक पट्टेदार संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की इस धारा 51 के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है

- (a) true/सच
- (b) false/झूठ
- (c) partly true/आंशिक रूप से सच है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

54)A trespasser is not a transferee within the meaning of section 51 of the Transfer of Property Act, 1882 and he is not entitled to compensation for improvements. This was decided in:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 51 के अर्थ के अंतर्गत एक अतिक्रमी अंतरिती नहीं है और वह सुधार के लिए मुआवजे का हकदार नहीं है। इसमें यह निर्णय लिया गया:

- (a) Daya Ram v. Shyam Sundari, (1965) 1 SCR 231/दया राम बनाम श्याम सुंदरी, (1965) 1 एससीआर 231
- (b) Krishan Prasad v. Adyanath Ghatak, AIR 1944 Pat 77/कृष्ण प्रसाद बनाम अद्यनाथ घटक, एआईआर 1944 पैट 77
- (c) Bhupendra v. Pyari, (1917) 40 IC 464/भूपेन्द्र बनाम प्यारी, (1917) 40 आईसी 464
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

55) The terms good faith in section 51 of the Transfer of Property Act, 1882 is used in the light of/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 51 में सद्भावना शब्द का प्रयोग किसके आलोक में किया जाता है?

- (a) Sale of Goods Act, 1930/ माल की बिक्री अधिनियम, 1930
- (b) General Clauses Act, 1897/सामान्य खंड अधिनियम, 1897
- (c) Indian Registration Act, 1908/ भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
- (d) Specific Relief Act, 1963/विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

56) Section 51 of the Transfer of Property Act, 1882, does not apply to ?/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 51 किस पर लागू नहीं होती?

- (a) court sale/कोर्ट बिक्री
- (b) auction sale/नीलामी बिक्री
- (c) bid/बोली
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

57) Within the meaning of section 51 of the Transfer of Property Act, 1882, the transferee:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 51 के अर्थ के अंतर्गत, अंतरिती:

- (a) has lien on land for the value of improvements/सुधार के मूल्य के लिए भूमि पर ग्रहणाधिकार है
- (b) has no lien on the land for the value of improvements/सुधार के मूल्य के लिए भूमि पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं है
- (c) has condition lien on the land for the value of improvements/में सुधार के मूल्य के लिए भूमि पर ग्रहणाधिकार की शर्त है
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

58) Section 52 of Transfer of Property Act, 1882 imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of a suit, provided the conditions laid down in section are satisfied. The statement is:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी संपत्ति के

अंतरण या अन्यथा लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है, बशर्ते कि धारा में निर्धारित शर्तें पूरी हों। कथन है:

- (a) false/झूठ
- (b) true/सच
- (c) partly true/आंशिक रूप से सच है
- (d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

59) Rule of lis pendens is applicable to suits for specific performance of contracts to transfer immovable property. The statement is: /लिस पेंडेंस का नियम स्थावर संपत्ति के अंतरण के अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमों पर लागू होता है। कथन है:

- (a) true/सच
- (b) false/झूठ
- (c) partly true/आंशिक रूप से सच है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

60) In case of a transfer hit by the doctrine of lis pendens, the question of good faith which is essential to be established before an equitable relief can be granted in favour of a subsequent vendee under sections 41 or 51 of the Transfer of Property Act, 1882 is: /

लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित अंतरण के मामले में, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 या 51 के तहत बाद के विक्रेता के पक्ष में न्यायसंगत राहत प्रदान करने से पहले सद्भावना का प्रश्न स्थापित किया जाना आवश्यक है।

- (a) relevant/सुसंगत
- (b) partly relevant/आंशिक रूप से सुसंगत
- (c) totally irrelevant/पूरी तरह से सुसंगत
- (d) partly irrelevant./आंशिक रूप से असंगत

61) 'A' gives Rs. 500 to 'B' on the condition that 'B' will marry 'C', daughter of 'A'. 'C' dies on the day of transfer. This transfer is void under which section of the Transfer of Property Act? / 'क', 'ख'

को 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि 'ख', 'क' की पुत्री 'ग' से विवाह करेगा। अन्तरण के दिन 'ग' की मृत्यु हो जाती है। यह अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की किस धारा में शून्य है?

- (a) धारा 25/ Section 25
- (b) धारा 26/ Section 26
- (c) धारा 27/ Section 27
- (d) धारा 28/ Section 28

62)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन-सी धाराओं से स्पष्ट है कि 'विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित में निर्निहित होने के विरोध में'? / From which of the following Sections of the Transfer of Property Act 1882 it is clear that 'law is in favor of vesting of interest and against seizing of interest'?

- (a) धारा 27 एवं 28/ Section 27 and 28
- (b) धारा 30 एवं 31/ Section 30 and 31
- (c) धारा 32 एवं 33/ Section 32 and 33
- (d) धारा 26 एवं 29/ Section 26 and 29

63)सम्पत्ति अन्तरण विधि के अंतर्गत 'साइप्रस' (तत्सदृश) सिद्धांत का अर्थ है- / Under the Law of Transfer of Property, the 'Cyprus' principle means- (Identical)

- (a) जहां तक संभव हो / as far as possible
- (b) लगभग करीब तक / almost up to
- (c) (a) एवं (b) दोनों / both (a) and (b)
- (d) न तो (a) न (b) / neither (a) nor (b)

64)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्ययन विधिमान्य न हो, तो पूर्विक व्ययन पर उसका- / Under Section 30 of the Transfer of Property Act, if the ulterior disposition is not valid, then on the prior disposition,

- (a) प्रभाव पड़ेगा / will have an effect
- (b) प्रभाव नहीं पड़ेगा / will not affect

- (c) अंशतः प्रभाव पड़ेगा / will be partially affected
(d) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा / will depend on the discretion of the court

65)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 12 वहां लागू नहीं होगी जहां- / Section 12 of the Transfer of Property Act, 1882 shall not apply where-?

- (a) अन्तरण विक्रय द्वारा हुआ है / The transfer is by sale
(b) अन्तरण दान द्वारा हुआ है / transfer is by donation
(c) अन्तरण विनिमय द्वारा हुआ है / the transfer is by exchange
(d) अन्तरण पट्टे द्वारा हुआ है / The transfer is by lease

66) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत 'भूमि में निविष्ट' चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में / Under the Transfer of Property Act, the things 'contained in the land' have been included in the definition-

- (a) स्थावर सम्पत्ति की / immovable property
(b) मूर्त स्थावर सम्पत्ति की / Tangible immovable property
(c) भूबद्ध की / attached to the earth
(d) अमूर्त स्थावर सम्पत्ति की / Intangible immovable property

67)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अधीन 'जीवित व्यक्ति' शब्दावली में सम्मिलित नहीं है- / The term 'living person' under the Transfer of Property Act, 1882 does not include-

- (a) कंपनी / Company
(b) संगम (संघ) / association
(c) व्यक्तियों का निकाय / body of individuals
(d) मूर्ति /Idol

Estd. 2008

68)कौन-सी सम्पत्ति अन्तरित की जा सकती है? / Which property can be transferred?

- (a) पुनः प्रवेश का अधिकार / Right to re-entry
(b) लोक पद / Public Office

- (c) किसी भी प्रकार की सम्पत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित न हो / any kind of property unless barred by law
(d) पेंशन / Pension

69) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है? / How many exceptions are mentioned in Section 6 of the Transfer of Property Act?

- (a) 11
(b) 9
(c) 10
(d) 8

70) संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, संपत्ति अंतरण करने के लिए कौन सक्षम है?/According to Section 7 of the Transfer of Property Act, who is competent to transfer property?
a) कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने में सक्षम हो तथा हस्तांतरणीय संपत्ति का हकदार हो।/Any person competent to contract and entitled to transferable property.
b) केवल संपत्ति का मालिक/Only the owner of the property
c) केवल संपत्ति का स्वामी, जब तक कि कानून द्वारा अधिकृत न हो।/Only the owner of the property, unless authorized by law.
d) कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी कानूनी क्षमता या स्वामित्व अधिकार कुछ भी हो।/Any person, irrespective of their legal capacity or ownership rights.

राजस्थली

Estd. 2008

Answer key

- 1-c
- 2-c
- 3-a
- 4-d
- 5-b
- 6-b
- 7-c
- 8-d
- 9-d
- 10-d
- 11-c
- 12-c
- 13-a
- 14-b
- 15-a
- 16-d
- 17-b
- 18-b
- 19-d
- 20-b
- 21-b
- 22-d
- 23-a
- 24-b
- 25-a
- 26-a



राजस्थली

Estd. 2008

27-a
28-a
29-a
30-b
31-a
32-a
33-b
34-a
35-c
36-d
37-a
38-a
39-a
40-a
41-a
42-a
43-a
44-a
45-a
46-b
47-d
48-a
49-a
50-b
51-a
52-b
53-a
54-a
55-b
56-a
57-b
58-b



Estd. 2008

59-a
60-c
61-a
62-d
63-b
64-b
65-d
66-c
67-d
68-c
69-c
70-a



Estd. 2008